रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122021-232247
CG-DL-E-29122021-232247

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 732] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2021/पौष 7, 1943
No. 732] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2021/PAUSA 7, 1943

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 28 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 891(अ).—वायुयान नियम, 1937 को आगे और संशोधित करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके बनाना प्रस्तावित करती है, इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ, उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा यथापेक्षित एतद्वारा प्रकाशित करती है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम को उस तारीख से तीस दिन की अवधि के बाद विचार हेतु लिया जाएगा जिस तारीख को भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, नागर विमानन महानिदेशक, सफरदजंग हवाईअड्डे के सामने, नई दिल्ली – 110003 को संबोधित की जा सकती हैं या dgoffice.dgca@nic.in को ईमेल की जा सकती हैं;

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त हो सकने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का नाम वायुयान (.....संधोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में,-

(क) नियम 133क में, उप-नियम (1) में, "प्रचालन" शब्द, के स्थान पर "प्रचालन, विनिर्माण" शब्द रखा जाएगा;

(ख) अनुसूची II में, धारा ट (K) एवं ढ (N) में, पैराग्राफ 5क में, खंड (ख) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होगा, अर्थातः-

"(ख) पैरा (क) के अनुसार संपादित प्रवीणता जांच इस प्रकार होगीः-

(i) पायलट द्वारा संचालित विजुअल फ्लाइट रूल्स (VFR) प्रचालन जांचों के मामले में प्रचालन की तारीख से बारह महीनों की समयावधि के लिए वैध होगी तथा एक बार में आगे केवल बारह महीने की समयावधि के लिए नवीकृत की जाएगी।

(ii) पायलट द्वारा संचालित इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स (IFR) प्रचालन जांचों के मामले में प्रचालन की तारीख से छह महीनों की समयावधि के लिए वैध होगी तथा एक बार में आगे केवल छह महीने की समयावधि के लिए ही नवीकृत की जाएगी। इस उप-खंड में निर्धारित किसी अन्य बात के होते हुए भी, मुख्य-पायलट अथवा सह-पायलट जिसने सफलतापूर्वक इंस्ट्रूमेंट रेटिंग फ्लाइंग टैस्ट अथवा नवीकृत जांच, जैसा भी मामला हो, खंड त में विर्निर्दिष्टानुसार पूरी कर ली हो, के विषय में माना जाएगा कि उसने प्रवीणता जांच पूरी कर ली है जो कि 6 महीनों की समयावधि के लिए वैध होगी"।

[फा. सं. एवी-11012/3/2021-डीजी]

सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

नोट - मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना संख्या V-26 के *माध्यम से* प्रकाशित किए गए थे एवं जिसे अंतिम बार दिनांक 13 मई, 2021 के सा.का.नि. 327(अ) के *माध्यम से* संशोधित करके भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में दिनांक 11 मई, 2021 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

G.S.R. 891(E).—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003 or mailed to dgoffice.dgca@nic.in;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Aircraft (……Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937,-

(A) in rule 133A, in sub-rule (1), for the word "operation", the words, "operation, manufacture" shall be substituted;

(B) in Schedule II, in section K and N, in paragraph 5A, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) The proficiency check carried out as per para (a) shall be

(i) valid for a period of twelve months from the date of the check in case of pilot conducting Visual Flight Rules (VFR) operations and shall be renewed for a further period of twelve months at a time.

(ii) valid for a period of six months from the date of the check in case of pilot conducting Instrument Flight Rules (IFR) operations and shall be renewed for a further period of six months at a time. Notwithstanding anything contained in this sub-clause, pilot-in-command or co-pilot who has successfully carried out instrument rating flying test or renewal check, as the case may be, specified under Section P shall be considered to have undergone proficiency check which shall be valid for a period of 6 months.".

[F. No. AV-11012/3/2021-DG]

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 327(E), dated the 13th May, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 11th May, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.12.29 23:09:58 +05'30'